



राजस्थान शासन

आय-व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2013-14

आय—व्ययक एक दृष्टि में
Budget At A Glance

2013-14

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान, जयपुर
DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, RAJASTHAN, JAIPUR

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2013-14

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)

मद	लेखे	आय -व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	आय -व्ययक अनुमान
Items	A/Cs 2011-12	B.E. 2012-13	R.E. 2012-13	B.E. 2013-14
1	2	3	4	5
1. राजस्व प्राप्तियां	57010.76	63146.83	68483.86	77220.60
Revenue Receipts				
(अ) राज्य के कर राजस्व State's Tax Revenue	25377.06	26832.32	30205.66	34053.13
(ब) अ-कर राजस्व Non-Tax Revenue	9175.10	8951.13	12194.00	12654.43
(स) केन्द्रीय करों के अंश Share in central Taxes	14977.04	17706.85	17102.84	20360.90
(द) सहायतार्थ अनुदान Grants -in-aid	7481.56	9656.53	8981.36	10152.14
2. पूंजीगत प्राप्तियां	8423.11	13925.02	18255.38	17987.87
Capital Receipts				
(अ) ऋणों की वसूली Recovery of Loans	1229.31	151.18	2110.64	191.20
(ब) अन्य प्राप्तियां Misc.Receipts	15.73	8.00	8.00	8.00
(स) उधार एवं अन्य देनदारियां Borrowings & other Liabilities (इसमें से पुनर्भुगतान) (of which repayments)	7178.07	13765.84	16136.74	17488.67
(द) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	(3490.42)	(4718.62)	(4707.29)	(4132.29)
2.1 शुद्ध उधार Net Borrowing	0.00	0.00	0.00	300.00
3. कुल प्राप्तियां (1+2) Total Receipts	65433.87	77071.85	86739.24	95208.47
4. आयोजना भिन्न व्यय Non-plan Expenditure	44802.57	52846.74	56932.14	63055.68
(अ) राजस्व खाते से (ब्याज की अदायगी) On revenue account (of which Interest Payment)	41237.77	48100.02	52049.97	58935.00
(ब) पूंजीगत खाते से On capital Account	(7891.82)	(8315.50)	(8495.01)	(9241.12)
	3564.80	4746.72	4882.17	4120.68

आय-व्ययक एक दृष्टि में 2013-14

BUDGET AT A GLANCE

(₹ crore/ करोड़)


मद	आय -व्ययक	संशोधित	आय -व्ययक	
	लेखे	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	B.E.	B.E.	
	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	4	
5			5	
5. आयोजना व्यय	18312.49	20986.83	26540.94	28244.61
Plan Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से	10457.85	11673.70	13113.53	14396.50
On Revenue Account				
(ब) पूंजीगत खाते से	7854.64	9313.13	13427.41	13848.11
On Capital Account				
6. केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यय	2257.02	2841.66	3039.72	3271.66
C.S.S.Expenditure				
(अ) राजस्व खाते से	1957.69	2445.50	2548.39	2863.24
On Revenue Account				
(ब) पूंजीगत खाते से	299.33	396.16	491.33	408.42
On Capital Account				
7. कुल व्यय (4+5+6)	65372.08	76675.23	86512.80	94871.95
Total Expenditure				
(अ) राजस्व व्यय	53653.31	62219.22	67711.89	76194.74
Revenue Expenditure				
(ब) पूंजीगत व्यय	11718.77	14456.01	18800.91	18377.21
Capital Expenditure				
(स) आकस्मिकता निधि का विनियोग	0.00	0.00	0.00	300.00
Appropriation to Contingency Fund				
8. राजस्व घाटा / आधिक्य (1-7अ) (-/+)	3357.45	927.61	771.97	1025.86
Revenue Deficit/Surplus				
(जिसमें से गैर आयोजना				
राजस्व घाटा / आधिक्य)	(11179.39)	(8981.43)	(10470.71)	(11467.80)
(of which Non-plan				
Revenue Deficit/Surplus)				
9. बजट घाटा /आधिक्य (3-7) (-/+)	61.79	396.62	226.44	336.52
Budgetary Deficit / Surplus				
10. राजकोषीय घाटा (-)	-3625.86	-8650.60	-11203.01	-13019.86
Fiscal Deficit				
11. प्रारम्भिक घाटा/आधिक्य (-/+)	4265.96	-335.10	-2708.00	-3778.74
Primary Deficit / Surplus				

आय व्ययक एक दृष्टि में


BUDGET AT A GLANCE

₹ करोड़/CRORE


प्राप्तियाँ RECEIPTS



व्यय EXPENDITURE




घाटा/आधिक्य DEFICIT / SURPLUS




रुपया आता है

RUPEE COMES FROM



रुपया जाता है

RUPEE GOES TO



पै.- पैसा P. - Paise

प्राप्तियां
RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)

मद	आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक	
लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान	
Items	A/Cs	R.E.	B.E.	
	2011-12	2012-13	2013-14	
1	2	3	5	
1. राज्य के कर राजस्व	25377.06	26832.32	30205.66	34053.13
State's Tax Revenue				
(i) भू – राजस्व	209.01	196.06	233.91	185.51
Land Revenue				
(ii) मुद्रांक एवं पंजीयन	2651.38	2800.00	3300.00	3900.00
Stamps & Registration				
(iii) राज्य आबकारी	3287.05	3250.00	3875.00	4500.00
State Excise				
(iv) बिक्री कर	15766.43	16550.00	18575.00	21050.00
Sales Tax				
(v) वाहनों पर कर	1927.05	1900.00	2225.00	2500.00
Tax on Vechicle				
(vi) बिजली शुल्क	1094.48	1505.26	1596.65	1512.61
Electricity Duty				
(vii) अन्य कर एवं शुल्क	441.66	631.00	400.10	405.01
Other Taxes & Duties				
2. केन्द्रीय करों का अंश	14977.04	17706.85	17102.84	20360.90
Share in Central Taxes				
(i) आयकर	2994.48	3500.29	3678.03	4362.47
Income Tax				
(ii) निगम कर	5895.15	6469.65	6143.53	7047.79
Corporation Tax				
(iii) संघ उत्पादन शुल्क	1680.36	2204.67	1931.50	2316.56
Union Excise Duty				
(iv) सीमा शुल्क	2596.78	3219.55	2842.10	3290.20
Custom Duty				
(v) सेवा कर	1787.52	2289.54	2497.32	3326.27
Service Tax				
(vi) अन्य कर	22.75	23.15	10.36	17.61
Other Taxes				

प्राप्तियां

RECEIPTS

(₹ crore/ करोड़)				
		आय –व्ययक	संशोधित	आय –व्ययक
मद	लेखे	अनुमान	अनुमान	अनुमान
Items	A/Cs	B.E.	R.E.	B.E.
	2011-12	2012-13	2012-13	2013-14
	1	3	4	5
3. कर भिन्न राजस्व	9175.10	8951.13	12194.00	12654.43
Non Tax Revenue				
(i) ब्याज प्राप्तियां	1714.53	1428.79	2074.82	1933.89
Interest Receipts				
(ii) लाभांश एवं लाभ	57.58	56.66	40.06	40.06
Dividends & Profits				
(iii) अन्य कर भिन्न राजस्व	7402.99	7465.68	10079.12	10680.48
Other Non-Tax Revenue				
3.1 सहायतार्थ अनुदान	7481.56	9656.53	8981.36	10152.14
Grants-in-aid				
3.2 कर भिन्न राजस्व एवं सहायतार्थ अनुदान	16656.66	18607.66	21175.36	22806.57
Non Tax Revenue and Grants in Aid				
3.3 कुल राजस्व प्राप्तिया (1+2+3.2)	57010.76	63146.83	68483.86	77220.60
Total Revenue Receipts				

प्राप्तियां

RECEIPTS

		(₹ crore/ करोड़)			
मद	लेखे	आय –व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान	
Items	A/Cs 2011-12	B.E. 2012-13	R.E. 2012-13	B.E. 2013-14	
	1	2	3	4	
				5	
4.	पूंजीगत प्राप्तियां	8423.11	13925.02	18255.38	17987.87
	Capital Receipts				
	(i) प्रत्यादत्त उधार एवं अग्रिम Recoveries of Loans & Advances	1229.31	151.18	2110.64	191.20
	(ii) आन्तरिक ऋण Internal Debt	5581.30	11228.67	11959.92	14136.65
	(iii) केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण Loans from Central Government	337.10	1261.21	601.23	1300.58
	(iv) आकस्मिकता निधि Contingency Fund	0.00	0.00	0.00	300.00
	(v) शुद्ध सार्वजनिक लेखा Net Public Accounts	1259.67	1275.96	3575.59	2051.44
	(vi) अन्य पूंजीगत प्राप्तियां Other Capital Receipts	15.73	8.00	8.00	8.00
5.	कुल प्राप्तियां (3.3+4)	65433.87	77071.85	86739.24	95208.47
	Total Receipts				


प्राप्तियाँ

RECEIPTS

■ राज्य कर राजस्व
 STATE'S TAX REVENUE
■ कर—भिन्न राजस्व
 NON-TAX REVENUE
■ पूँजीगत प्राप्तियाँ
 CAPITAL RECEIPTS

■ केन्द्रीय करों का अंश
 SHARE IN CENTRAL TAXES
■ सहायतार्थ अनुदान
 GRANTS-IN-AID

₹ करोड़ / CRORE



10
व्यय
EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)				
मद	लेखे	आय –व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान
Items	A/Cs 2011-12	B.E. 2012-13	R.E. 2012-13	B.E. 2013-14
	1	3	4	5
I. राजस्व व्यय				
REVENUE EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	41237.77	48100.02	52049.97	58935.00
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	18286.82	19952.21	20681.89	22908.12
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	15980.69	18679.39	19349.72	20967.88
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	6963.92	9462.47	11973.43	14978.05
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	6.34	5.95	44.93	80.95
(ख) आयोजना व्यय	10457.85	11673.70	13113.53	14396.50
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	384.80	175.14	294.97	181.16
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	4727.91	5441.90	5926.14	7737.71
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	5078.44	5763.29	6599.05	6182.77
4. सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान Grants-in-aid & Contribution	266.70	293.37	293.37	294.86
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	1957.69	2445.50	2548.39	2863.24
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं General Services	36.89	65.68	57.15	49.93
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1219.27	1547.90	1680.68	1918.32
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	701.53	831.92	810.56	894.99
(घ) कुल राजस्व व्यय (I)	53653.31	62219.22	67711.89	76194.74
(क+ख+ग)				
TOTAL REVENUE EXPENDITURE				

EXPENDITURE

(₹ crore/ करोड़)

मद	लेखे	आय –व्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	आय –व्ययक अनुमान
Items	A/Cs 2011-12	B.E. 2012-13	R.E. 2012-13	B.E. 2013-14
	1	3	4	5
II. पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
(क) आयोजना भिन्न व्यय	16.33	27.85	4.45	-11.86
NON-PLAN-EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	5.71	13.61	-9.49	-24.99
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	10.62	12.35	12.04	11.42
आर्थिक सेवाएं 3. Economic Services	0.00	1.89	1.90	1.71
(ख) आयोजना व्यय	6828.25	9301.63	11240.97	13677.33
PLAN EXPENDITURE				
1. सामान्य सेवाएं General Services	192.09	362.59	331.73	511.96
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	1874.59	3072.53	3485.82	4867.49
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	4761.57	5866.51	7423.42	8297.88
(ग) केन्द्र प्रवर्तित योजना	274.67	359.71	456.34	390.44
CENTRALLY SPONSORED SCHEME				
1. सामान्य सेवाएं General Services	6.07	3.70	6.07	9.85
2. सामाजिक सेवाएं Social Services	111.50	103.71	158.77	107.81
3. आर्थिक सेवाएं Economic Services	157.10	252.30	291.50	272.78
(घ) कुल पूंजीगत व्यय(II) (क+ख+ग)	7119.25	9689.19	11701.76	14055.91
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE(II)				

EXPENDITURE


(₹ crore/ करोड़)				
मद Items	लेखे A/Cs 2011-12	आय –व्ययक अनुमान B.E. 2012-13	संशोधित अनुमान R.E. 2012-13	आय –व्ययक अनुमान B.E. 2013-14
1	2	3	4	5
पूंजीगत व्यय				
CAPITAL EXPENDITURE				
III. लोक ऋण (आयोजना भिन्न)	3490.42	4718.62	4707.29	4132.29
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)				
IV. ऋण एवं अग्रिम	1109.10	48.20	2391.86	189.01
LOAN AND ADVANCES				
1. आयोजना भिन्न	58.05	0.25	170.43	0.25
Non-Plan				
2. आयोजना	1026.39	11.50	2186.44	170.78
Plan				
3. केन्द्र प्रवर्तित योजना	24.66	36.45	34.99	17.98
C.S.S.				
v. आकस्मिकता निधि का विनियोग	0.00	0.00	0.00	300.00
Appropriation to Contingency Fund				
वृहत पूंजीगत व्यय	11718.77	14456.01	18800.91	18677.21
GRAND TOTAL CAPITAL EXPENDITURE				

व्यय

EXPENDITURE

- ऋण एवं अग्रिम
LOANS AND ADVANCES
- लोक ऋण(आयोजना भिन्न)
PUBLIC DEBT (NON-PLAN)
- कुल पूँजीगत व्यय
TOTAL CAPITAL EXPENDITURE
- कुल राजस्व व्यय
TOTAL REVENUE EXPENDITURE

₹ करोड़
₹ CRORE



मुख्य विशेषताएं

प्रस्तावित योजना उद्ध्यय

2013-14

प्रस्तावित योजना उद्व्यय 2013-14 के मुख्य बिन्दु

राज्य विधानसभा में प्रस्तुत आय-व्ययक अनुमान 2013-14 में योजना उद्व्यय ₹ 40,139.00 करोड़ प्रस्तावित हैं। इसमें सकल बजटीय समर्थन के रूप में ₹ 28,244.62 करोड़ तथा आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के रूप में ₹ 11,894.38 करोड़ शामिल हैं। योजना उद्व्ययों का मुख्य शीर्षवार विवरण निम्नानुसार है:-

विकास के शीर्ष/सेक्टर	(राशि ₹ करोड़ में)	
	प्रस्तावित परिव्यय	कुल से प्रतिशत
1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं	2362.88	5.89
2. ग्रामीण विकास	3616.92	9.01
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	275.60	0.69
4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1540.88	3.84
5. विद्युत	13673.00	34.06
6. उद्योग एवं खनिज	228.43	0.57
7. यातायात	2483.45	6.18
8. वैज्ञानिक सेवाएं	43.56	0.11
9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं	15022.83	37.43
10. आर्थिक सेवाएं	425.70	1.06
11. सामान्य सेवाएं	465.75	1.16
योग	40139.00	100.00

क्षेत्रवार मुख्य-मुख्य विशेषताएं

1. कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं

- ₹ 75.81 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के शामिल।
 - ◆ कृषि विपणन बोर्ड के ₹ 70.51 करोड़।
 - ◆ राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के ₹ 5.30 करोड़।
- कृषि विभाग के लिए ₹ 1,152.47 करोड़ का प्रावधान जिसमें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की राशि ₹ 307.93 करोड़ शामिल।
 - ◆ तिलहन, दालें, ऑयल पॉम एवं मक्का (आईसोपॉम) की एकीकृत योजना हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ किसान सेवा केन्द्र सह विलेज नॉलेज सेन्टर के लिये ₹ 122.00 करोड़।

- ◆ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 600.00 करोड़ का प्रावधान।
- ◆ अन्तर्राज्यीय राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना (ईएपी) हेतु ₹ 41.25 करोड़ का प्रावधान।
- बागवानी विभाग के लिए ₹ 141.50 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ राष्ट्रीय बागवानी मिशन हेतु ₹ 10.50 करोड़ एवं सूक्ष्म सिंचाई योजना हेतु ₹ 30.00 करोड़ का राज्यांश के रूप में प्रावधान।
 - ◆ सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत ड्रिप सिंचाई स्थापना के लिए अतिरिक्त सहायता हेतु ₹ 84.55 करोड़ का प्रावधान।
- पशुपालन के लिए ₹ 182.73 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, इसमें ₹ 1.13 करोड़ महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के एवं ₹ 49.02 करोड़ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर का प्रस्तावित प्रावधान सम्मिलित है।
 - ◆ मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना के लिए ₹ 88.10 करोड़।
- वानिकी क्षेत्र के लिये ₹ 378.88 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, इसमें ₹ 22.08 करोड़ तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यक्रम के लिए एवं ₹ 207.00 करोड़ राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (ई.ए.पी.) द्वितीय चरण के लिये प्रस्तावित प्रावधान सम्मिलित है।
- सहकारिता के लिये ₹ 280.76 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है इसमें सहकारी संस्थाओं को ब्याज हेतु अनुदान के लिए ₹ 100.00 करोड़ एवं सहकारी समितियों को अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान हेतु ₹ 167.99 करोड़ का प्रस्तावित प्रावधान सम्मिलित है।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ खाद्यान्न अन्तर्गत क्षेत्रफल – 139.95 लाख हैक्टेयर
 - ◆ खाद्य फसलों का उत्पादन – 198.16 लाख टन
 - ◆ तिलहन अन्तर्गत क्षेत्रफल – 48.98 लाख हैक्टेयर
 - ◆ तिलहन का उत्पादन – 57.64 लाख टन
 - ◆ गन्ना अन्तर्गत क्षेत्रफल – 0.06 लाख हैक्टेयर
 - ◆ गन्ना उत्पादन – 3.72 लाख टन
 - ◆ कपास अन्तर्गत क्षेत्रफल – 4.55 लाख हैक्टेयर
 - ◆ कपास उत्पादन – 11.78 लाख गांठें
 - ◆ खाद का उपभोग – 15.12 लाख टन
 - ◆ फल पौधारोपण – 122 हैक्टेयर
 - ◆ कृत्रिम गर्भाधान – 27 लाख
 - ◆ बंध्याकरण – 5 लाख

- ◆ मत्स्य बीज उत्पादन – 500 मिलियन संख्या
- ◆ मत्स्य उत्पादन – 34,000 मेट्रिक टन
- ◆ सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अल्प, मध्यम एवं दीर्घ कालीन ऋणों का वितरण – ₹ 7,621 करोड़
- ◆ भण्डारण क्षमता – 16,200 मेट्रिक टन

2. ग्रामीण विकास

- केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु राज्यांश के रूप में ₹ 796.05 करोड़ का प्रावधान जिसमें शामिल है:-
 - ◆ एस. जी. एस. वाई. (ग्रामीण हाट को शामिल करते हुए) के लिए ₹ 0.50 करोड़।
 - ◆ मिड-डे-मील के लिए ₹ 150.00 करोड़।
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना के लिए ₹ 128.00 करोड़।
 - ◆ महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए ₹ 350.00 करोड़।
 - ◆ जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन के लिए ₹ 12.75 करोड़।
 - ◆ राजस्व प्रशासन के सशक्तीकरण हेतु ₹ 51.07 करोड़।
 - ◆ सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए ₹ 20.00 करोड़।
 - ◆ सेटलमेंट के लिए ₹ 38.73 करोड़ आदि।
 - ◆ एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के लिए ₹ 45.00 करोड़।
- विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना हेतु ₹ 400.00 करोड़ का प्रावधान।
- डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान हेतु ₹ 519.10 करोड़ का प्रावधान।
- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि हेतु ₹ 346.80 करोड़ का प्रावधान।
- बाह्य सहायित "पश्चिमी राजस्थान गरीबी शमन परियोजना" के लिए ₹ 39.62 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना के लिए ₹ 35.00 करोड़ का प्रावधान।
- पंचायती राज संस्थाओं के निर्बन्ध कोष के लिये ₹ 1,073.30 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:
 - ◆ इन्दिरा आवास योजना अन्तर्गत 89,802 नये आवासों का निर्माण
 - ◆ मिड-डे-मील – 53.00 लाख छात्र/छात्राएं
 - ◆ 30 हजार लोगों को भूखण्डों का आवंटन।

- ◆ एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत 34,840 हैक्टेयर क्षेत्र को उपचारित किया जायेगा
- ◆ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 3,500 स्वयं सहायता समूहों का गठन

3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 165.60 करोड़ का प्रावधान।
- मगरा क्षेत्र विकास हेतु ₹ 50.00 करोड़ एवं मेवात क्षेत्र विकास के लिए ₹ 60.00 करोड़ का प्रावधान।

4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

- बाह्य सहायतित परियोजनाओं हेतु ₹ 321.24 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ लघु सिंचाई सुधार योजना के लिए ₹ 200.00 करोड़।
 - ◆ राज्य भागीदारी सिंचाई कार्यक्रम के लिए ₹ 121.24 करोड़।
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्तर्गत परियोजनाओं हेतु ₹ 324.52 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ नर्बदा परियोजना के लिए ₹ 244.52 करोड़।
 - ◆ गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए ₹ 50.00 करोड़ एवं
 - ◆ मरू/जनजाति क्षेत्रों में लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए ₹ 30.00 करोड़।
- 41,100 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना।
 - ◆ 9,000 हैक्टेयर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा
 - ◆ 11,000 हैक्टेयर में नर्बदा के द्वारा
 - ◆ 350 हैक्टेयर में गंग नहर के द्वारा
 - ◆ 3,000 हैक्टेयर में लघु सिंचाई योजनाओं के द्वारा
 - ◆ 17,750 हैक्टेयर में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा
- सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 230.47 करोड़ रु. का प्रावधान।
- 58,000 हैक्टेयर क्षेत्र में भूमि विकास कार्य।
 - ◆ 9,000 हैक्टेयर चम्बल सिंचित क्षेत्र में।
 - ◆ 14,000 हैक्टेयर बीसलपुर क्षेत्र में।
 - ◆ 35,000 हैक्टेयर गंग नहर सीएडी क्षेत्र में।

5. विद्युत

- ₹ 9,372.00 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के सम्मिलित।
 - ◆ ₹ 5,935.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के।
 - ◆ ₹ 2,040.00 करोड़ राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के।
 - ◆ ₹ 552.00 करोड़ जयपुर डिस्कॉम के।
 - ◆ ₹ 425.00 करोड़ जोधपुर डिस्कॉम के।
 - ◆ ₹ 420.00 करोड़ अजमेर डिस्कॉम के।
- एफ.आर.पी. के अन्तर्गत संक्रमण सहायता के रूप में ₹ 420.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सरकार द्वारा ₹ 4,283 करोड़ का इक्विटी अंशदान एवं बजटीय सहायता।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के लिये ₹ 8.00 करोड़ का प्रावधान।
- विद्युत वित्त निगम लि० को ₹ 10.00 करोड़ का इक्विटी अंशदान।
- 50 ग्रामों का विद्युतीकरण एवं 42,398 कुओं का ऊर्जाकरण।
- एसपीवी घरेलू लाइटिंग सिस्टम की स्थापना— 6,816

6. उद्योग एवं खनन

- राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के ₹ 136.00 करोड़ के आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन शामिल।
- उद्योग विभाग (सिपेट सहित) हेतु ₹ 26.46 करोड़ का प्रावधान।
- खादी एवं ग्रामोद्योग हेतु ₹ 9.31 करोड़ का प्रावधान।
- बुनकर संघ हेतु ₹ 2.50 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान हैण्डलूम विकास निगम हेतु ₹ 3.20 करोड़ का प्रावधान।
- निवेश संवर्धन ब्यूरो हेतु ₹ 4.43 करोड़ का प्रावधान।
- दिल्ली—मुम्बई औद्योगिक कोरिडोर हेतु ₹ 20.00 करोड़ का प्रावधान।
- खान एवं भू—विज्ञान विभाग हेतु ₹ 21.73 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण गैर—कृषि विकास अभिकरण हेतु ₹ 3.20 करोड़ का प्रावधान।
- महत्वपूर्ण भौतिक लक्ष्य:—
 - ◆ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभान्वित व्यक्ति — 1,088
 - ◆ खनन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण — 9.00 किमी.

7. परिवहन

- ₹ 195.65 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल।
 - ◆ ₹ -4.35 करोड़ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को वित्तीय घाटा।
 - ◆ ₹ 200.00 करोड़ राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम के।
- आर.आई.डी.एफ. अन्तर्गत नाबार्ड सहायतित सड़क कार्यों के लिए ₹ 845.80 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 20 कि.मी. धार्मिक स्थलों को जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण, 800 कि.मी. सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण, 1,200 कि.मी. मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण एवं 1,800 कि.मी. ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
- केन्द्रीय सड़क निधि के तहत ₹ 238.80 करोड़ का अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रावधान।
 - ◆ 182 किमी. राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- बाह्य सहायतित योजनान्तर्गत ₹ 210.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के उच्चीकरण व सुदृढीकरण के लिए तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ₹ 37.50 करोड़ का प्रावधान।
- ग्रामीण सड़क निर्माण के तहत ₹ 133.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण के लिए ₹ 361.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 800 कि.मी. सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण।
- विशेष प्राथमिकता क्षेत्र की सड़कों के निर्माण के लिए ₹ 125.00 करोड़ का प्रावधान।
- राज्य सड़क विकास निधि अन्तर्गत ₹ 220.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 500 नई बसों की खरीद।

8. वैज्ञानिक सेवाएं

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिये ₹ 10.90 करोड़ एवं पर्यावरण विभाग के लिये ₹ 32.66 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ इसमें ₹ 10.00 करोड़ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित।
 - ◆ इसमें ₹ 12.73 करोड़ राष्ट्रीय नहरों की संरक्षण योजना के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित।
 - ◆ इसमें ₹ 1.00 करोड़ सी.ई.टी.पी. (कॉमन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान्ट) के सम्मिलित।

9. सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएं

शिक्षा

- शिक्षा क्षेत्र के लिये कुल ₹ 3,440.47 करोड़ का प्रावधान।
- प्राथमिक शिक्षा के लिये ₹ 2,094.72 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ इसमें ₹ 1,245.24 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान (एस.एस.ए.) के लिए राज्यांश के रूप में सम्मिलित।
- माध्यमिक शिक्षा के लिये ₹ 1,003.62 करोड़ का प्रावधान (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए ₹ 150.00 करोड़ राज्यांश को सम्मिलित करते हुए)।
- विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के लिये ₹ 105.64 करोड़ का प्रावधान।
- साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के लिये ₹ 21.82 करोड़ का प्रावधान।
- कला एवं संस्कृति के लिये ₹ 65.98 करोड़ का प्रावधान।
- तकनीकी शिक्षा के लिये ₹ 64.51 करोड़ का प्रावधान।
- खेल एवं युवा कल्याण के लिये ₹ 80.55 करोड़ का प्रावधान।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र (आयुर्वेद सहित) के लिये ₹ 1,780.35 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के लिए ₹ 327.22 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 51.57 करोड़ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना एवं ₹ 60.68 करोड़ धन्वन्तरी एम्बुलेन्स सेवा योजना के लिए शामिल है।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए ₹ 864.58 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 342.13 करोड़ निःशुल्क दवा वितरण के लिए एवं ₹ 100.00 करोड़ निःशुल्क जाँच योजना के सम्मिलित।
 - ◆ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 230 शैय्याओं की वृद्धि।
 - ◆ शहरी चिकित्सालयों में 430 शैय्याओं की वृद्धि।
 - ◆ 1,500 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
 - ◆ 50 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शहरी क्षेत्र में खोलना।
 - ◆ 3 गहन चिकित्सा इकाई (आई.सी.यू.) की स्थापना जिला चिकित्सालयों में।
- चिकित्सा शिक्षा के लिए ₹ 509.55 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 100.00 करोड़ निःशुल्क जाँच योजना के सम्मिलित।
- आयुर्वेद हेतु ₹ 48.11 करोड़ का प्रावधान।

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग

- जल प्रदाय योजनाओं हेतु ₹ 2,556.23 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 978.69 करोड़।
 - ◆ ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए ₹ 1,576.31 करोड़।
 - ◆ अधीनस्थ अभियांत्रिकी प्रशिक्षण संस्थान के लिए ₹ 1.23 करोड़।
- उक्त प्रावधान में बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए ₹ 465.00 करोड़ का प्रावधान भी शामिल।
 - ◆ शहरी जल प्रदाय योजना, जोधपुर की पुर्नसंरचना के लिए ₹ 100.00 करोड़।
 - ◆ आपणी योजना द्वितीय-चरण के लिए ₹ 40.00 करोड़।
 - ◆ चम्बल-भीलवाड़ा जल प्रदाय परियोजना के लिए ₹ 125.00 करोड़।
 - ◆ नागौर लिफ्ट जल प्रदाय परियोजना फेज-1 के लिए ₹ 200.00 करोड़।
- 2,500 स्लिपड बैक एनसी/पीसी बस्तियों को समाविष्ट करने का लक्ष्य।

आवास एवं नगरीय विकास

- आवास एवं नगरीय विकास के लिये ₹ 4,924.62 करोड़ का प्रावधान।
- इसमें ₹ 2,114.92 करोड़ आन्तरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन के शामिल।
 - ◆ राजस्थान आवासन मण्डल के ₹ 400.00 करोड़।
 - ◆ जयपुर विकास प्राधिकरण के ₹ 380.00 करोड़।
 - ◆ अन्य शहरी स्थानीय निकायों के ₹ 1,334.92 करोड़।
- बाह्य सहायतित राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम हेतु ₹ 295.00 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस आवास के लिए हुडको को किश्त का भुगतान करने के लिए ₹ 110.00 करोड़ का प्रावधान।
- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के लिए ₹ 401.13 करोड़ का प्रावधान।
- समग्र आवास एवं कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम हेतु ₹ 204.92 करोड़ का प्रावधान।
- लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी आधारभूत विकास योजना हेतु ₹ 122.45 करोड़ का प्रावधान।
- जयपुर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के लिए ₹ 597.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान शहरी विकास निधि में अंशदान के लिए ₹ 45.00 करोड़ का प्रावधान।

- राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए ₹ 325.08 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- रेलवे ओवर ब्रिज के लिए ₹ 65.00 करोड़ का प्रावधान।
- शहरी जन-सहभागिता योजना के लिए ₹ 15.00 करोड़ का प्रावधान।
- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के लिए राज्यांश के रूप में ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 12,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
 - ◆ शहरी स्वरोजगार अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों के 1,7000 व्यक्तियों को प्रशिक्षण।
 - ◆ 2 लाख मानव दिवसों का सृजन।
- अग्नि शमन यंत्र के लिए ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना के लिए ₹ 40.32 करोड़ का प्रावधान।
- जल एवं सीवरेज परियोजना के लिए ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास कोष के लिए ₹ 85.00 करोड़ का प्रावधान।
- स्थानीय निकाय को सामान्य अनुदान के लिए ₹ 350.00 करोड़ का प्रावधान।
- जोधपुर विकास प्राधिकरण को सहायता हेतु ₹ 50.00 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा शहरी क्षेत्रों में 7,000 आवासों का निर्माण।

पिछड़ी जातियों का कल्याण तथा समाज कल्याण

- अनु.जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण तथा समाज कल्याण के लिये ₹ 924.01 करोड़ का प्रावधान।
- इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 249.24 करोड़ का प्रावधान शामिल।
 - ◆ 6,20,700 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।
- विभिन्न छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए ₹ 30.06 करोड़ का प्रावधान।
- 80 सम्बल गाँवों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹ 10.00 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ₹ 3.40 करोड़ का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम को मैचिंग सहायता के लिए ₹ 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- पालनहार योजनान्तर्गत निराश्रित बच्चों एवं विधवा पेंशनधारियों के 2 बच्चों को नजदीकी रिश्तेदारों के द्वारा संरक्षण/देखरेख प्रदान करवाने हेतु ₹ 69.50 करोड़ का प्रावधान।
- अनुप्रीति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए ₹ 5.00 करोड़ का प्रावधान।
- सहयोग योजनान्तर्गत बी.पी.एल. परिवार की पुत्रियों के विवाह पर ₹ 10,000/- वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ₹ 18.00 करोड़ का प्रावधान।
- देवनारायण योजना के लिए ₹ 118.23 करोड़ का प्रावधान।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के लिए ₹ 233.16 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 8.10 लाख व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करना।
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत जनश्री बीमा योजना के लिए ₹ 23.40 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 27.20 लाख बी.पी.एल. परिवारों को जीवन बीमा सुरक्षा।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 64.62 करोड़ का प्रावधान।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना अन्तर्गत ₹ 15.02 करोड़ का प्रावधान।
- बाल कल्याण हेतु ₹ 31.97 करोड़ का प्रावधान।
- महिलाओं के कल्याण हेतु ₹ 0.38 करोड़ का प्रावधान।
- वृद्धावस्था गृहों की स्थापना हेतु ₹ 3.68 करोड़ का प्रावधान।

विशेष योग्यजन निदेशालय

- विशेष योग्यजन निदेशालय के लिए ₹ 42.00 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 1,500 पोलियो करेक्शन शिविरों का आयोजन।
 - ◆ 1,500 व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक सहायता।
 - ◆ 8,000 व्यक्तियों को विकलांग छात्रवृत्ति।
 - ◆ 300 विशेष योग्यजन को स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु सहायता।

जनजाति क्षेत्र विकास

- विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 110.40 करोड़ का प्रावधान।

- संविधान के अनुच्छेद 275 (1) अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में ₹ 130.80 करोड़ का प्रावधान।
- जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिये "जनजाति कल्याण निधि" अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में ₹ 201.22 करोड़ का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास

- महिला विकास कार्यक्रमों हेतु ₹ 56.31 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ साथिनों को मानदेय का भुगतान।
 - ◆ प्रबन्धकीय क्षमता विकास एवं आय सृजन गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु।
 - ◆ सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान प्रदान करने हेतु।
 - ◆ महिला स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण चुकाने पर प्रोत्साहन स्वरूप ब्याज दर में छूट हेतु सहायता।
- पोषाहार हेतु ₹ 615.52 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ 56.00 लाख बच्चों व महिलाओं को पूरक पोषाहार द्वारा लाभान्वित करने हेतु।
 - ◆ आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय भुगतान हेतु।
 - ◆ समेकित बाल विकास योजना अन्तर्गत प्रशासन एवं प्रशिक्षण के लिए।

अल्पसंख्यक विकास

- अल्पसंख्यक विकास कार्यक्रम के लिए ₹ 116.26 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ ₹ 2.47 करोड़ मदरसा बोर्ड के लिए।
 - ◆ ₹ 61.02 करोड़ मदरसा स्कूल के लिए।
 - ◆ ₹ 1.05 करोड़ अल्पसंख्यक छात्रावास के भवन के लिए।
 - ◆ ₹ 3.50 करोड़ अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं के रोजगार योजना के लिए।
 - ◆ ₹ 4.29 करोड़ अल्पसंख्यक व्यक्तियों हेतु राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति योजना के लिए।
 - ◆ ₹ 1.85 करोड़ राजस्थान वक्फ बोर्ड के लिए।
 - ◆ ₹ 3.00 करोड़ का ऋण राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को देय।

10. आर्थिक सेवाएं

- पर्यटन विभाग के लिये ₹ 40.00 करोड़ का प्रावधान।

- “राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना” हेतु ₹ 103.00 करोड़ का प्रावधान।
- सूचना एवं प्रौद्योगिकी के लिए ₹ 98.43 करोड़ का प्रावधान जिसमें नेशनल ई-गवर्नेंस योजना हेतु एवं विशिष्ट पहचान हेतु प्रोत्साहन (UIDs) राशि भी शामिल।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति हेतु ₹ 137.34 करोड़ का प्रावधान जिसमें ₹ 6.22 करोड़ अन्नपूर्णा योजना एवं ₹ 1.00 करोड़ राशन टिकट योजना हेतु शामिल।
- राज्य आयोजना बोर्ड के लिए ₹ 5.00 करोड़ का प्रावधान।
- कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य करवाये जाने हेतु ₹ 10.21 करोड़ का प्रावधान।
- आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए ₹ 15.35 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान इनोवेटिव कौंसिल के लिए ₹ 11.89 करोड़ का प्रावधान।

11. सामान्य सेवाएं

- विभिन्न राज्य एवं जिला-स्तरीय भवनों के निर्माण हेतु ₹ 260.87 करोड़ का प्रावधान।
 - ◆ जेल भवनों के लिए ₹ 50.98 करोड़।
 - ◆ पुलिस भवनों के लिए ₹ 55.00 करोड़।
 - ◆ जोधपुर में उच्च न्यायालय के नये भवन एवं अन्य न्यायिक भवनों के लिए ₹ 94.35 करोड़।
 - ◆ सामान्य प्रशासन विभाग के भवनों के लिए ₹ 7.77 करोड़।
 - ◆ देवस्थान के लिए ₹ 8.02 करोड़।
 - ◆ आबकारी विभाग के लिए ₹ 26.62 करोड़।
 - ◆ कोष एवं लेखा के लिए ₹ 16.13 करोड़।
 - ◆ मुद्रांक एवं पंजीयन के लिए ₹ 2.00 करोड़।
- नागरिक उड्डयन के लिए ₹ 20.02 करोड़ का प्रावधान।
- राजस्थान विनियोजन संवर्द्धन नीति-2003 के तहत अनुदान हेतु 125.00 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 45 फास्ट ट्रेक न्यायालयों के वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए ₹ 12.37 करोड़ का प्रावधान।
- न्यायिक अकादमी के संचालन व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 6.83 करोड़ का प्रावधान।

HIGHLIGHTS

PROPOSED PLAN OUTLAY

2013-14

Highlights of Proposed Plan Outlay 2013-14

₹40,139.00 crores is proposed as Plan Outlay in the Budget Estimate 2013-14 presented in the Rajasthan State Legislative Assembly. This includes Gross Budgetary Support of ₹28,244.62 crores and Internal & Extra Budgetary Resources (IEBR) of ₹11,894.38 crores. The major head-wise break-up of the plan outlays are as under:-

(₹ in crores)

S. No.	Head of Development /Sectors	Proposed Outlay	% to Total
1.	Agriculture & Allied Services	2362.88	5.89
2.	Rural Development	3616.92	9.01
3.	Special Area Programme	275.60	0.69
4.	Irrigation & Flood Control	1540.88	3.84
5.	Power	13673.00	34.06
6.	Industry & Minerals	228.43	0.57
7.	Transport	2483.45	6.18
8.	Scientific Services	43.56	0.11
9.	Social & Community Services	15022.83	37.43
10.	Economic Services	425.70	1.06
11.	General Services	465.75	1.16
Total		40139.00	100.00

Sector-wise Highlights:-

I. Agriculture & Allied Services

- Includes IEBR of ₹75.81 crores.
 - ₹ 70.51 crores of Agriculture Marketing Board
 - ₹ 5.30 crores of State Warehousing Corporation
- Provision of ₹1,152.47 crores for Agriculture Department which includes funds ₹307.93 Crores for weather based Crop Insurance Scheme also.
 - Provision of ₹20.00 crores for Integrated Scheme of Oilseed, Pulses, Oil Pam & Maize (ISOPOM) as State Share.
 - ₹122.00 crores for Construction of Kisan Seva Cum Village Knowledge Centers
 - Provision of ₹600.00 crores as ACA for Rastriya Krishi Vikas Yojana (RKVY).
 - Provision of ₹41.25 crores for Multi State Rajasthan Agriculture Competitive Project (EAP)

- Provision of ₹141.50 crores for Horticulture Department.
 - Provision of ₹10.50 crores for National Horticulture Mission and ₹30.00 crores for Micro Irrigation Scheme as State Shares.
 - ₹84.55 crores additional subsidy for drip installation under Micro Irrigation Scheme.
- Provision of ₹182.73 crores for Animal Husbandry which includes a provision of ₹1.13 crores for Maharana Pratap University of Agriculture and Technology, Udaipur and a provision of ₹49.02 crores for Veterinary & Animal Science University, Bikaner.
 - ₹88.10 crores for Mukhymantri Pasudhan Nishulk Dava Yojana.
- Provision of ₹378.88 crores for Forestry which includes a provision of ₹22.08 crores for Thirteen Finance Commission and a provision of ₹207.00 crores for Rajasthan Development and Bio-diversity Project Phase-II (EAP)
- Provision of ₹280.76 crores for co-operation which includes ₹100.00 crores for Interest Subsidy for Credit Co-operative Institution and ₹167.99 crores for Interest Subsidy to Good Loaners of Co-operative Societies.
- Important physical targets:
 - Area under Food Crops – 139.95 lakh ha.
 - Production of Food Crops – 198.16 lakh tonnes
 - Area under Oilseeds – 48.98 lakh ha.
 - Production of Oilseeds – 57.64 lakh tonnes
 - Area under Sugarcane – 0.06 lakh ha.
 - Production of Sugarcane – 3.72 lakh tonnes
 - Area under Cotton – 4.55 lakh ha.
 - Production of Cotton – 11.78 lakh bales
 - Consumption of Fertilizer – 15.12 Lac tonnes
 - Fruit Plantation – 122 ha.
 - Artificial Insemination – 27 lakhs
 - Castration – 5 lakhs
 - Fish Seed Production – 500 Million No.
 - Fish Production – 34,000 Tonnes
 - Distribution of short, medium and long term loan through Cooperative Institutions – ₹7,621.00 crores.
 - Storage Capacity – 16,200 MTs

II. Rural Development

- Provision of ₹796.05 crores as State matching share for Centrally Sponsored Schemes which includes
 - ₹ 0.50 crores for SGSY including Rural Haat.
 - ₹ 150.00 crores for Mid-day-meal
 - ₹ 128.00 crores for Indira Awas Yojana (IAY)
 - ₹ 350.00 crores for Mahatama Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)
 - ₹ 12.75 crores for DRDA Administration
 - ₹ 51.07 crores for strengthening of revenue administration
 - ₹ 20.00 crores for Total Sanitation Campaign.
 - ₹ 38.73 crores for Settlement etc.
 - ₹ 45.00 crores for Integrated Watershed Management Programme
- Provision of ₹400.00 crores for MLA Local Area Development Scheme.
- Provision of ₹50.00 crores for Dang Area Development Programme.
- Provision of ₹519.10 crores as Grants to PRIs under SFC.
- Provision of ₹346.80 crores as ACA for Backward Region Grant Fund.
- Provision of ₹39.62 crores for Externally Aided Project 'Mitigating Poverty in Western Rajasthan'.
- Provision of ₹35.00 crores for Gramin Jan Bhagidari vikas Yojana.
- Provision of ₹1,073.30 crores as Untied Funds to Panchayati Raj Institutions.
- Important physical targets:
 - Construction of 89,802 new houses under IAY
 - Mid-day-meal – 53.00 lakh students
 - Plots to be allotted to 30,000 persons.
 - 34,840 ha. area to be treated under Integrated Watershed Management Project.
 - 3,500 Formation of Self Help Groups under National Rural Livelihood Mission

III. Special Area Programme

- Provision of ₹165.60 crores as ACA for Border Area Development Programme.
- Provision of ₹50.00 crores for Magra Area Development and ₹60.00 crores for Mewat Area Development.

IV. Irrigation & Flood Control

- Provision of ₹321.24 crores for EAPs
 - ₹ 200.00 crores for Minor Irrigation Improvement Scheme.
 - ₹ 121.24 crores for State Partnership Irrigation Project.
- Provision of ₹324.52 crores for AIBP Projects.
 - ₹ 244.52 crores for Narbada,
 - ₹ 50.00 crores for Gang Canal Modernisation and
 - ₹ 30.00 crores for minor irrigation projects in Desert / Tribal Areas.
- Additional irrigation potential to be created – 41,100 hectares.
 - 9,000 ha. through IGNP
 - 11,000 ha. through Narmada
 - 350 ha. through Gang Canal
 - 3,000 ha. through minor irrigation schemes
 - 17,750 ha. through Medium Irrigation Projects
 - Provision of ₹230.47 Crores Command Area Development
- OFD works – 58,000 ha.
 - 9,000 ha. in Chambal Command area
 - 14,000 ha. in Bisalpur area
 - 35,000 ha. in Gang Canal – CAD

V. Power

- Includes IEBR of ₹9,372.00 crores.
 - ₹ 5,935.00 crores of Raj. Rajya Vidyut Utpadan Nigam
 - ₹ 2,040.00 crores of Raj. Rajya Vidyut Prasaran Nigam
 - ₹ 552.00 crores of DISCOM, Jaipur
 - ₹ 425.00 crores of DISCOM, Jodhpur
 - ₹ 420.00 crores of DISCOM, Ajmer

- Provision of ₹420.00 crores as Transition Support for FRP
- ₹4,283.00 crores as equity contribution and Budgetary Support by the State Government.
- Provision of ₹8.00 crores for Rajasthan Renewable Energy Cooperation Limited.
- ₹10.00 crores as Equity Contribution by State Government to Power Finance Corporation limited
- Electrification of 50 villages and energisation of 42,398 wells.
- Installation of SPV Domestic Lighting System (DLS) 6,816 No.

VI. Industry and Minerals

- Includes IEBR of ₹136.00 crores of RSMM Ltd.
- Provision of ₹26.46 crores for Industries (including CIPET) Department.
- Provision of ₹9.31 crores for Khadi & Village Industries.
- Provision of ₹2.50 crores for Bunkar Sangh.
- Provision of ₹3.20 crores for Rajasthan Handloom Development Corporation.
- Provision of ₹4.43 crores for Bureau of Investment Promotion.
- Provision of ₹20.00 crores for Delhi-Mumbai Industrial Corridor.
- Provision of ₹ 21.73 crores for Mines & Geology Deptt.
- Provision of ₹3.20 crores for RUDA.
- Important physical targets:
 - Persons to be benefitted under Prime Minister Rojgar Yojana – 1,088.
 - Construction of roads in mineral areas – 9.00 km.

VII. Transport

- Includes IEBR of ₹195.65 crores.
 - ₹ -4.35 crores Loses of RSRTC
 - ₹ 200.00 crores of RSRDCC

- Provision of ₹845.80 crores for NABARD assisted road works under RIDF
 - Construction of 20 km. religious roads, strengthening, modernization and renovation of 800 km. roads, Construction of 1,200 Km. missing Link Roads and Construction of 1,800 Km. Rural Roads
- Provision of ₹238.80 crores (ACA) under Central Road Fund (CRF)
 - Strengthening, modernisation and renovation of 182 km. State Highway & Major District Roads.
- Provision of ₹210.00 crores for EAP.
- Provision of ₹37.50 crores for Upgradation and Improvement of State Highways under Thirteenth Finance Commission
- Provision of ₹133.00 Crores for Rural Roads.
- Provision of ₹361.00 Crores for Strengthening, Modernisation and Renovation of State Highways & Major District Roads
 - Strengthening, Modernisation and Renovation of 800 Km. Roads
- Provision of ₹125.00 crores for construction of Roads of special priority.
- Provision of ₹220.00 crores under State Road Fund.
- Purchase of 500 new buses by RSRTC.

VIII. Scientific Services

- Provision of ₹10.90 crores for Science & Technology and ₹32.66 crores for Environment Department.
 - Includes ₹10.00 crores for National Lake Conservation Programme.
 - Includes ₹12.73 crores for National River Conservation Scheme.
 - Includes ₹1.00 crores for Common Effluent Treatment Plant.

IX. Social & Community Services:

Education

- Total provision of ₹3,440.47 crores for Education Sector.
- Provision of ₹2,094.72 crores for Elementary Education
 - Includes ₹1,245.24 crores as State Matching Share for Sarva Shiksha Abhiyan (SSA).

- Provision of ₹1,003.62 crores for Secondary Education including ₹150.00 as State Matching Share for RMSA.
- Provision of ₹105.64 crores for University and other Higher Education.
- Provision of ₹21.82 crores for Literacy & Continuing Education.
- Provision of ₹65.98 crores for Arts & Culture
- Provision of ₹64.51 crores for Technical Education
- Provision of ₹80.55 crores for Sports & Youth Welfare.

Medical & Health

- Provision of ₹1,780.35 crores for Medical & Health Sector including Ayurved.
- Provision of ₹327.22 crores for National Rural Health Mission (NRHM) including ₹51.57 crores for Mukhya Mantri Jeevan Raksha Kosh Yojana and ₹60.68 crores for Dhanvantari Ambulance Service Yojana.
- Provision of ₹864.58 crores for Medical & Health Department including ₹342.13 crores for Nisulk Drug Distribution System and ₹100.00 Crores for Nisulk Janch Yojana.
 - 230 increase of Beds in Community Health Centres
 - 430 increase of Beds in Urban Hospitals
 - 1,500 opening of New Sub-Centres
 - 50 opening of New Primary Health Centres in urban areas
 - Establishment of 3 New intensive Care Unit in District Hospitals.
- Provision of ₹509.55 crores for Medical Education including ₹100.00 Crores for Nisulk Janch Yojana.
- Provision of ₹48.11 crores for Ayurved.

PHED

- Provision of ₹2,556.23 crores for Water Supply Schemes
 - ₹ 978.69 crores for Urban Water Supply Schemes
 - ₹ 1,576.31 crores for Rural Water Supply Schemes
 - ₹ 1.23 crores for Training Institute for Engineering Subordinates.
- Above provision also includes ₹465.00 crores for Externally Aided Projects
 - ₹ 100.00 crores for reorganization of Urban Water Supply, Jodhpur

- ₹ 40.00 crores for Aapni Yojana Phsae-II.
 - ₹ 125.00 crores for Chambal-Bhilwara Drinking Water Supply Project
 - ₹ 200.00 crores for Nagaur Lift Canal Drinking Water Supply Project Phase-II
- Target to cover 2,500 slipped back NC/PC habitations.

Housing & Urban Development

- Provision of ₹4,924.62 crores for Housing & Urban Development.
- Provision includes IEBR of ₹ 2,114.92 crores
 - ₹ 400.00 crores of Rajasthan Housing Board.
 - ₹ 380.00 crores of Jaipur Development Authority.
 - ₹ 1,334.92 crores of Other Urban Local Bodies.
- Provision of ₹295.00 crores for Externally Aided Rajasthan Urban Sector Development Investment Programme
- Provision of ₹110.00 crores for payment of installment to HUDCO for Police Housing.
- Provision of ₹401.13 crores for JNNURM.
- Provision of ₹204.92 crores for Integrated Housing & Slum Development Programme (IHSDP).
- Provision of ₹122.45 crores for Urban Infrastructure Development Scheme for Small & Medium Towns (UIDSSMT).
- Provision of ₹597.00 crores for Jaipur Metro Rail Corporation Ltd.
- Provision of ₹45.00 crores for contribution to Rajasthan Urban Development Fund.
- Provision of ₹325.08 crores as grants to ULBs under SFC.
- Provision of ₹65.00 crores for Railways Over Bridges (ROBs).
- Provision of ₹15.00 crores Sahari Jan Sabhagita Yojana.
- Provision of ₹10.00 crores as State Matching Share for Swaran Jayanti Shahari Rojgar Yojana (SJSRY)
 - Target to benefit 12,000 persons of BPL families under urban self-employment
 - Target to trained 17,000 persons of BPL families under urban self-employment
 - Creation of 2.00 lakh mandays.
- Provision of ₹10.00 crores for Fire Fighting Equipments.

- Provision of ₹40.32 crores for CM Sahari BPL Awas Yojana.
- Provision of ₹50.00 crores for Water and Sewerage Project.
- Provision of ₹85.00 crores for Rajasthan Transport Infrastructure Development Fund.
- Provision of ₹350.00 crores for General Grants to Local Bodies.
- Provision of ₹50.00 crores for Grant to Jodhpur Development Authority.
- Construction of 7,000 houses in urban areas by Rajasthan Housing Board.

Welfare of Backward Classes & Social Welfare

- Provision of ₹924.01 crores for welfare of SC/ST/Other Backward Classes and Social Welfare.
- Provision includes ₹249.24 crores for Post-Matric Scholarship to SC/ST/OBC Students.
 - Target to benefit 6,20,700 students
- Provision of ₹30.06 crores for construction of various Hostel Buildings.
- Provision of ₹10.00 crores to provide infrastructure facilities in 80 Sambal Villages.
- Provision of ₹3.40 crores for Protection of Civil Rights to SCs/STs.
- Provision of ₹1.00 crore as matching assistance to RSCSTFDCC.
- Provision of ₹69.50 crores for Palanhar Yojana for providing care to destitute children and two children of widow pensioners through close relatives.
- Provision of ₹5.00 crores for “Anupriti Scheme” to provide financial assistance to SC/ST students for the preparation of various exams.
- Provision of ₹18.00 crores for Sahayog Scheme to provide financial assistance ₹10,000 to BPL families for daughter marriage.
- Provision of ₹118.23 crores for Devnarayan Yojana.
- Provision of ₹233.16 crores for Old-age Pension under NSAP.
 - To provide old-age pension to 8.10 lakh persons

- Provision of ₹23.40 crores for Jan Shree Bima Yojana under NSAP.
 - Life insurance coverage to 27.20 lakh BPL families
- Provision of ₹64.62 crores for Indira Gandhi Rastriya Widow Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹15.02 crores for Indira Gandhi Rastriya Disability Pension Yojana under NSAP.
- Provision of ₹31.97 crores for Child Welfare.
- Provision of ₹0.38 crores for Women Welfare.
- Provision of ₹3.68 crores for establishment of Old Age Homes.

Directorate of Specially Abled Persons

- Provision of ₹42.00 crores for Directorate of Specially Abled Persons
 - Organisation of 1,500 Polio Correction Camps
 - Prosthetic Aid to 1,500 persons
 - Handicapped Scholarship to 8,000 persons
 - Assistance to 300 disabled persons for self-employment & training.

Tribal Area Development

- Provision of ₹110.40 crores as Special Central Assistance (SCA).
- Provision of ₹130.80 crores as ACA under Article 275(1) of the Constitution.
- Provision of ₹201.22 crores as untied grant under the "Janjati Kalyan Nidhi" for the development of tribal areas.

Women and Children Development

- Provision of ₹56.31 crores for Women Development programme
 - Payment of Honorarium to Sathins
 - For imparting training in managerial capacity building and income generation activities.
 - For providing grant for Community Marriages.
 - For providing assistance to Women SHGs as incentive in rate of interest for timely repayment of loan.
- Provision of ₹615.52 crores for Nutrition
 - To benefit 56.00 lakh children and women through Supplementary Nutrition.
 - For payment of Honorarium to anganwari workers and helpers.
 - For administration and training under ICDS.

Minority Development

- Provision of ₹116.26 crores for Minority Development Programme
 - Provision of ₹2.47 crores for Madarsa Board.
 - Provision of ₹61.02 crores for Madarsa Schools.
 - Provision of ₹1.05 crores for Hostel Building for Minorities.
 - Provision of ₹3.50 crores for Employment scheme for Minority Boys and Girls.
 - Provision of ₹4.29 crores for State Technical Scholarship Scheme for Minority Candidates.
 - Provision of ₹1.85 crore for Rajasthan Waqf Board.
 - Provision of ₹3.00 Crores loan to Rajasthan Minority Finance & Development Cooperative Cooperation.

X. Economic Services

- Provision of ₹40.00 crores for Tourism Department
- Provision of ₹103.00 crores for Rajasthan Rural Livelihood Project (RRLP).
- Provision of ₹98.43 crores for Information & Technology including funds for National e-Governance Plan (NeGP) and incentive for issuing Unique Identification (UIDs).
- Provision of ₹137.34 crores for Food & Civil Supply which includes ₹ 6.22 crores for Annapurna Yojana and ₹1.00 crores for Ration Ticket Scheme.
- Provision of ₹ 5.00 crores for State Planning Board.
- Provision of ₹10.21 crores for D.O.P. Secretariat for various construction works.
- Provision of ₹ 15.35 crores for Economic & Statistics Department.
- Provision of ₹11.89 crores for Rajasthan Innovative Council.

XI. General Services

- Provision of ₹ 260.87 crores for construction of various State and District level buildings.
 - ₹ 50.98 crores for Jail Buildings,
 - ₹ 55.00 crores for Police Buildings,
 - ₹ 94.35 crores for New High Court Building at Jodhpur and other Judicial Buildings,

- ₹ 7.77 crores for GAD Buildings,
- ₹ 8.02 crores for Devsthan.
- ₹ 26.62 crores for Excise Department.
- ₹ 16.13 crores for Treasuries & Accounts.
- ₹ 2.00 crores for Stamp & Registration.
- Provision of ₹125.00 crores for grant under Rajasthan Investment Promotion Policy-2003.
- Provision of ₹20.02 crores for Civil Aviation.
- Provision of ₹12.37 crores to meet the committed liability of 45 fast track courts.
- Provision of ₹6.83 crores to meet the running expenditure of Judicial Academy.